4/13

न्यायालय अपर उपजिलाधिकारी सदर, लखनऊ।

नकल आदेश दिनांक- 25/09/2021 बाबत वाद संख्या- 06267/2021, कम्प्यूटरीकृत वाद सं०-T202110460306267 धारा- 80, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता -2006 ग्राम- सिसै परगना बिजनौर तहसील मोहनलालगंज जिला -लखनऊ।

424 29/09/2021

श्री गुरु तेग बहादुर एजुकेशनल ट्रस्ट बनाम सरकार

प्रयोगोपरान्त 'चौकियाँ' निरस्त किया जाता है।
प्रमाणित छायाप्रति संलग्न।

मण्डल:- लखनऊ,जनपद:- लखनऊ
न्यायालय अपर उप जिलाधिकारी सदर
वाद संख्या:- 06267/2021
श्री गुरू तेग बहादुर एजूकेशनल ट्रस्ट बनाम सरकार
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-T202110460306267
अंतर्गत धारा:- 80,उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006
आदेश तिथि:- 25/09/2021

अंतिम आदेश

प्रस्तुत वाद की कार्यवाही श्री गुरू तेग बहादुर एजूकेशनल ट्रस्ट द्वारा निदेशक मोहन सिंह पुत्र कुलदीप सिंह नि० 554/187,शान्ती नगर छोटा बरहा, आलमबाग, लखनऊ के प्रार्थना पत्र दिनांक 19.03.2020 मय शपथ पत्र के आधार पर प्रारम्भ की गई। जिसमे अवगत कराया गया कि वादीय भूमि गाटा संख्या- 1237ख/0.8910हे० स्थित ग्राम सिर्स परगना निगोहां तहसील मोहनलालगंज, लखनऊ जिसे वादी ने बैनामा द्वारा क्रय किया था जो वादी के नाम संक्रमणीय भूमिधर के रूप में राजस्व अभिलेख मे दर्ज कागजात है तथा वादी का उक्त भूमि पर कब्जा है। वादी की उपरोक्त भूमि के आस-पास आवासीय गतिविधियां मौजूद है तथा काफी तेजी से निर्माण कार्य चल रहे है। वादी अपनी भूमि को आवासीय रूप मे उपयोग करना चाहता है इसी उद्देश्य से वादी ने उक्त भूमि पर निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया है तथा काफी मात्रा मे मौरंग बालू आदि एकत्रित कर रखा है। उपरोक्त भूमि पर वादी काफी अर्से से कृषि कार्य नही कर रहा है और न ही उक्त भूमि पर उसके द्वारा कुक्कुट पालन,मत्स्य पालन आदि का कार्य किया जा रहा है। उक्त भ_ूमि पर वादी द्वारा कृषि कार्य नही किया जाएगा। वादी द्वारा वादीय भूमि गाटा संख्या- 1237ख/0.8910हे०मे स्थित ग्राम सिर्स परगना निगोहां तहसील मोहनलालगंज, लखनऊ को अकृषिक घोषित किए जाने का अनुरोध किया गया।

42/
27/09/2021

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार मोहनलालगंज द्वारा प्रारूप-1 तथा जांच आख्या धारा 80 के अन्तर्गत प्रख्यापन हेतु प्रारूप नियम 85 के अन्तर्गत पर आख्या दिनांक 15.03.2021 प्रेषित की गई। तहसीलदार मोहनलालगंज द्वारा अपनी आख्या मे अवगत कराया गया कि प्रश्नगत वादीय भूमि खाता संख्या 513गाटा संख्या-1237ख/0.8910हे०मे स्थित ग्राम सिर्स परगना निगोहां तहसील मोहनलालगंज, लखनऊ का वादी संक्रमणीय भूमिधर के रूप मे दर्ज है।वादीय भूमि परती दर्ज है। प्रश्नगत भूमि पर मौके पर निर्माण कार्य किया जा रहा है,और भूमि मौके पर खाली पड़ी हुई है,कुक्कुट पालन,मत्स्य पालन,बागवानी आदि के प्रयोग मे भूमि नही लायी जा रही है और मौके पर निर्माण व बिल्डिंग बनी हुई है। भूमि लखनऊ महानगर योजना के अन्तर्गत ग्राम की नही है। तहसील आख्या के साथ जो चकबन्दी आकार पत्र-41 एवं 45 ,गाटा संख्या- 1237ख से सम्बन्धित व कार्यालय उप निबन्धक मोहनलालगंज जनपद लखनऊ का भार मुक्त प्रमाण पत्र तथा पत्रावली मे 1359 फसली का इन्तखाब खसरा तथा वादीय भूमि फोटोग्राफ की छायाप्रति प्रस्तुत की गई।वादी द्वारा रू0 16500/- की धनराशि का चालान एवं 16500/- का स्टाम्प जमा किया गया। तहसीलदार मोहनलालगंज द्वारा वादीय भूमि गैर प्रयोजन घोषित किए जाने हेतु आख्या प्रेषित की गई। दिनांक 23.09.2021 को अरूण कुमार लेखपाल ,ईचार्ज क्षेत्र सिर्स द्वारा न्यायालय मे उपस्थित होकर बयान दर्ज कराया गया जिसमे कहा गया कि गाटा संख्या 1237 ख स्थित ग्राम सिर्स परगना निगोहा,तहसील मोहनलालगंज,लखनऊ के श्री गुरू तेग बहादुर एजूकेशनल ट्रस्ट द्वारा निदेशक मोहन सिंह पुत्र कुलदीप सिंह नि० 554/187,शान्ती नगर छोटा बरहा, आलमबाग, लखनऊ सम्पूर्ण अंश के जरिए बैनामा संक्रमणीय भूमिधर दर्ज खतौनी है। वादीय भूमि जो चक आकार पत्र 41 एवं 45 मे श्रीमती दिलराजा बेवा रामेश्वर नि० दयालपुर के नाम अंकित है। श्रीमती दिलराजा द्वारा वादीय भूमि जरिए बैनामा स्थानान्तरित हुई। वादीय भूमि पर कोई सहखातेदार नही है। निर्माण वादीय भूमि पर स्थित है। निर्माण से सार्वजनिक व्यवस्था,सार्वजनिक स्वास्थ्य,सुरक्षा या सुविधा पर प्रतिकूल प्रभाव नही पड़ेगा। वादीय भूमि महानगर योजना मे वर्तमान मे नही है।

पत्रावली का अवलोकन व परिशीलन किया गया। प्रश्नगत उल्लिखित गाटा संख्या संक्रमणीय भूमिधर के रूप मे दर्ज है। तहसीलदार मोहनलालगंज द्वारा अपनी आख्या मे अवगत कराया गया है कि वादीय भूमि पर मौके पर निर्माण है। लेखपाल सिर्स द्वारा भी अपने बयान दिनांक 23.09.2021 मे कहा गया है कि निर्माण से सार्वजनिक व्यवस्था,सार्वजनिक स्वास्थ्य,सुरक्षा या सुविधा पर प्रतिकूल प्रभाव नही पड़ेगा। प्रस्तुत वाद के सम्बन्ध मे किसी के द्वारा कोई भी आपत्ति प्रस्तुत नही की गई है। इस प्रकार वाद निर्विवाद श्रेणी का है।

अतः तहसीलदार मोहनलालगंज से प्राप्त आख्या दिनांक 15.03.2021 के आधार पर वादीय भूमि गाटा संख्या 1237ख/0.8910हे०मे स्थित ग्राम सिर्स परगना निगोहां तहसील मोहनलालगंज, लखनऊ को अकृषिक घोषित किया जाना विधि संगत प्रतीत होता है।

आदेश

अतः वादीय भूमि गाटा संख्या- 1237ख/0.8910हे0मे स्थित ग्राम सिर्सा परगना निगोहां तहसील मोहनलालगंज, लखनऊ को मालगुजारी 60 ख से मुक्त करते हुए प्रश्नगत भूमि को कृषि प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन की भूमि (अकृषिक) घोषित किया जाता है। यह घोषणा राजस्व की दृष्टि से की जा रही है। अन्य अधिनियमो एवं मास्टर प्लान पर उसका प्रभाव नही होगा। इस भूमि का प्रयोग एवं इस पर निर्माण लखनऊ विकास क्षेत्र महायोजना 2021 के अनुसार ही अनुमन्य होगा। यदि भविष्य मे उक्त भूमि पर कृषि,मत्स्य पालन,कुक्कुट पालन,बागवानी आदि कृषि से सम्बन्धित कार्य हेतु भूमि का उपयोग किया जाता है तो धारा-82उ0प्र0राजस्वसंहिता अधि0 के अन्तर्गत तत्काल तहसीलदार अपनी आख्या प्रस्तुत करेगे। तहसीलदार की अद्यतन आख्या आदेश का अंग रहेगी। तहसीलदार मोहनलालगंज को आदेश की प्रति इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्त वर्णित खाते/गाटे के सम्बन्ध मे एक नक्शा नजरी तैयार कराकर अभिलेखो के साथ रखवाये जिसमे उन गाटो को जो कृषि, बागवानी या पशुपालन जिसके अन्तर्गत मत्स्य पालन एवं कुक्कुट पालन के प्रयोजनो के लिए काम मे नही लाये जा रहे है, अलग-अलग रंगो मे दर्शाये। खाते मे प्रत्येक भाग के लिए देय मालगुजारी का भी विभाजन किया जाये कि वर्तमान पैमाइशी नक्शो और भूमि के वास्तविक उपयोग के आधार पर उक्त प्रख्यापित भाग की हदबन्दी कराये। हदबन्दी का खर्चा आवेदक संक्रमणीय भूमिधर से नियत मद मे जमा कोष करवाये। पत्रावली पर प्रस्तुत साक्ष्य एवं तथ्य यदि कभी संज्ञान मे आने पर अवैधिक एवं फर्जी पाए जाते है तो यह आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही संचित अभिलेखागार हो।

421
27/09/2021

25/09/2021

(इन्द्रसेन)

अपर उपजिलाधिकारी सदर,

लखनऊ।

[illegible] 27/09/2021
[illegible] का दिनांक 27/09/2021
[illegible] का दिनांक 27/09/2021
[illegible] देने का दिनांक 27/09/2021
[illegible] की संख्या [illegible]

[illegible]
[illegible] अधिकारी/[illegible]

प्रतिलिपि कर्ता [illegible] 27/09/2021
[illegible] कर्ता [illegible] 27/09/2021 (फोटो कॉपी)
27/09/2021

4/13

न्यायालय अपर उपजिलाधिकारी सदर, लखनऊ।

421/27/07/2021

नकल आदेश दिनांक:- 25/07/2021 बाबत वाद संख्या-06267/2021, कम्प्यूटरीकृत वाद नं0-T202110460306267 धारा- 80, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता -2006, ग्राम - सिसई परगना निगोहाँ तहसील मोहनलालगंज जिला - लखनऊ।

श्री गुरु तेग बहादुर एजुकेशनल ट्रस्ट बनाम सरकार

प्रयोगोपरान्त फोलियों निरस्त किया जाता है।

प्रमाणित छायाप्रति संलग्न।

मण्डल:- लखनऊ,जनपद:- लखनऊ

न्यायालय अपर उप जिलाधिकारी सदर

वाद संख्या:- 06267/2021

श्री गुरू तेग बहादुर एजूकेशनल ट्रस्ट बनाम सरकार

कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-T202110460306267

अंतर्गत धारा:- 80,उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

आदेश तिथि:- 25/09/2021

अंतिम आदेश

प्रस्तुत वाद की कार्यवाही श्री गुरू तेग बहादुर एजूकेशनल ट्रस्ट द्वारा निदेशक मोहन सिंह पुत्र कुलदीप सिंह नि० 554/187,शान्ती नगर छोटा बरहा, आलमबाग, लखनऊ के प्रार्थना पत्र दिनांक 19.03.2020 मय शपथ पत्र के आधार पर प्रारम्भ की गई। जिसमे अवगत कराया गया कि वादीय भूमि गाटा संख्या- 1237ख/0.8910हे० स्थित ग्राम सिर्स परगना निगोहा तहसील मोहनलालगंज, लखनऊ जिसे वादी ने बैनामा द्वारा क्रय किया था जो वादी के नाम संक्रमणीय भूमिधर के रूप में राजस्व अभिलेख मे दर्ज कागजात है तथा वादी का उक्त भूमि पर कब्जा है। वादी की उपरोक्त भूमि के आस-पास आवासीय गतिविधियां मौजूद है तथा काफी तेजी से निर्माण कार्य चल रहे है। वादी अपनी भूमि को आवासीय रूप मे उपयोग करना चाहता है इसी उद्देश्य से वादी ने उक्त भूमि पर निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया है तथा काफी मात्रा मे मौरंग बालू आदि एकत्रित कर रखा है। उपरोक्त भूमि पर वादी काफी अर्से से कृषि कार्य नही कर रहा है और न ही उक्त भूमि पर उसके द्वारा कुक्कुट पालन,मत्स्य पालन आदि का कार्य किया जा रहा है। उक्त भ_ूमि पर वादी द्वारा कृषि कार्य नही किया जाएगा। वादी द्वारा वादीय भूमि गाटा संख्या- 1237ख/0.8910हे०मे स्थित ग्राम सिर्स परगना निगोहा तहसील मोहनलालगंज, लखनऊ को अकृषिक घोषित किए जाने का अनुरोध किया गया।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार मोहनलालगंज द्वारा प्रारूप-1 तथा जांच आख्या धारा 80 के अन्तर्गत प्रख्यापन हेतु प्रारूप नियम-85 के अन्तर्गत पर आख्या दिनांक 15.03.2021 प्रेषित की गई। तहसीलदार मोहनलालगंज द्वारा अपनी आख्या मे अवगत कराया गया कि प्रश्नगत वादीय भूमि खाता संख्या 913गाटा संख्या-1237ख/0.8910हे०मे स्थित ग्राम सिर्स परगना निगोहा तहसील मोहनलालगंज, लखनऊ का वादी संक्रमणीय भूमिधर के रूप मे दर्ज है।वादीय भूमि परती दर्ज है। प्रश्नगत भूमि पर मौके पर निर्माण कार्य किया जा रहा है,और भूमि मौके पर खाली पड़ी हुई है,कुक्कुट पालन,मत्स्य पालन,बागवानी आदि के प्रयोग मे भूमि नही लायी जा रही है और मौके पर निर्माण व बिल्डिंग बनी हुई है। भूमि लखनऊ महानगर योजना के अन्तर्गत ग्राम की नही है। तहसील आख्या के साथ जो चकबन्दी आकार पत्र-41 एवं 45 ,गाटा संख्या- 1237ख से सम्बन्धित व कार्यालय उप निबन्धक मोहनलालगंज जनपद लखनऊ का भार मुक्त प्रमाण पत्र तथा पत्रावली मे 1359 फसली का इन्तखाब खसरा तथा वादीय भूमि फोटोग्राफ की छायाप्रति प्रस्तुत की गई।वादी द्वारा रू० 16500/- की धनराशि का चालान एवं 16500/- का स्टाम्प जमा किया गया। तहसीलदार मोहनलालगंज द्वारा वादीय भूमि गैर प्रयोजन घोषित किए जाने हेतु आख्या प्रेषित की गई। दिनांक 23.09.2021 को अरूण कुमार लेखपाल ,ईंचार्ज क्षेत्र सिर्स द्वारा न्यायालय मे उपस्थित होकर बयान दर्ज कराया गया जिसमे कहा गया कि गाटा संख्या 1237 ख स्थित ग्राम सिर्स परगना निगोहा,तहसील मोहनलालगंज,लखनऊ के श्री गुरू तेग बहादुर एजूकेशनल ट्रस्ट द्वारा निदेशक मोहन सिंह पुत्र कुलदीप सिंह नि० 554/187,शान्ती नगर छोटा बरहा, आलमबाग, लखनऊ सम्पूर्ण अंश के जरिए बैनामा संक्रमणीय भूमिधर दर्ज खतौनी है। वादीय भूमि जो चक आकार पत्र 41 एवं 45 मे श्रीमती दिलराजा बेवा रामेश्वर नि० दयालपुर के नाम अंकित है। श्रीमती दिलराजा द्वारा वादीय भूमि जरिए बैनामा स्थानान्तरित हुई। वादीय भूमि पर कोई सहखातेदार नही है। निर्माण वादीय भूमि पर स्थित है। निर्माण से सार्वजनिक व्यवस्था,सार्वजनिक स्वास्थ्य,सुरक्षा या सुविधा पर प्रतिकूल प्रभाव नही पड़ेगा। वादीय भूमि महानगर योजना मे वर्तमान मे नही है।

पत्रावली का अवलोकन व परिशीलन किया गया। प्रश्नगत उल्लिखित गाटा संख्या संक्रमणीय भूमिधर के रूप मे दर्ज है। तहसीलदार मोहनलालगंज द्वारा अपनी आख्या मे अवगत कराया गया है कि वादीय भूमि पर मौके पर निर्माण है। लेखपाल सिर्स द्वारा भी अपने बयान दिनांक 23.09.2021 मे कहा गया है कि निर्माण से सार्वजनिक व्यवस्था,सार्वजनिक स्वास्थ्य,सुरक्षा या सुविधा पर प्रतिकूल प्रभाव नही पड़ेगा। प्रस्तुत वाद के सम्बन्ध मे किसी के द्वारा कोई भी आपत्ति प्रस्तुत नही की गई है। इस प्रकार वाद निर्विवाद श्रेणी का है।

अतः तहसीलदार मोहनलालगंज से प्राप्त आख्या दिनांक 15.03.2021 के आधार पर वादीय भूमि गाटा संख्या-1237ख/0.8910हे०मे स्थित ग्राम सिर्स परगना निगोहा तहसील मोहनलालगंज, लखनऊ को अकृषिक घोषित किया जाना विधि संगत प्रतीत होता है।

421
27/09/2021

आदेश

अतः वादीय भूमि गाटा संख्या- 1237ख/0.8910हे0मे स्थित ग्राम सिर्स परगना निगोहां तहसील मोहनलालगंज, लखनऊ को मालगुजारी 60 ख से मुक्त करते हुए प्रश्नगत भूमि को कृषि प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन की भूमि (अकृषिक) घोषित किया जाता है। यह घोषणा राजस्व की दृष्टि से की जा रही है। अन्य अधिनियमो एवं मास्टर प्लान पर उसका प्रभाव नही होगा। इस भूमि का प्रयोग एवं इस पर निर्माण लखनऊ विकास क्षेत्र महायोजना 2021 के अनुसार ही अनुमन्य होगा। यदि भविष्य मे उक्त भूमि पर कृषि,मत्स्य पालन,कुक्कुट पालन,बागवानी आदि कृषि से सम्बन्धित कार्य हेतु भूमि का उपयोग किया जाता है तो धारा-82उ0प्र0राजस्वसंहिता अधि0 के अन्तर्गत तत्काल तहसीलदार अपनी आख्या प्रस्तुत करेंगे। तहसीलदार की अद्यतन आख्या आदेश का अंग रहेगी। तहसीलदार मोहनलालगंज को आदेश की प्रति इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्त वर्णित खाते/गाटे के सम्बन्ध मे एक नक्शा नजरी तैयार कराकर अभिलेखो के साथ रखवाये जिसमे उन गाटो को जो कृषि, बागवानी या पशुपालन जिसके अन्तर्गत मत्स्य पालन एवं कुक्कुट पालन के प्रयोजनो के लिए काम मे नही लाये जा रहे है, अलग-अलग रंगो मे दर्शाये। खाते मे प्रत्येक भाग के लिए देय मालगुजारी का भी विभाजन किया जाये कि वर्तमान पैमाइशी नक्शो और भूमि के वास्तविक उपयोग के आधार पर उक्त प्रख्यापित भाग की हदबन्दी कराये। हदबन्दी का खर्चा आवेदक संक्रमणीय भूमिधर से नियत मद मे जमा कोष करवाये। पत्रावली पर प्रस्तुत साक्ष्य एवं तथ्य यदि कभी संज्ञान मे आने पर अविधिक एवं फर्जी पाए जाते है तो यह आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही संचित अभिलेखागार हो।

421
27/09/2021

25/09/2021

(इन्द्रसेन)
अपर उपजिलाधिकारी सदर,
लखनऊ।

27/09/2021
27/09/2021
27/09/2021
27/09/2021

प्रतिलिपि
27/09/2021
27/09/2021
27/09/2021